प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 29.01.2023

20 लीटर अपमिश्रित शराब, 300 ग्राम यूरिया व 200 ग्राम नौसादर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपमिश्रित कच्ची शराब के निष्कर्षण, विक्रय, अपराधो की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के मार्ग दर्शन में एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में प्र0नि0 खोराबार व उनकी टीम को लगाया गया था। जिसके क्रम में उ0नि0 श्री रामानुज सिंह मय टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर संजय पासवान पुत्र स्व0 त्रिभुवन पासवान ग्राम मठिया बुजुर्ग (जगदीशपुर) थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को 20 लीटर अपमिश्रित शराब, 300 ग्राम यूरिया व 200 ग्राम नौसादर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में पूछने पर संजय पासवान ने बताया कि कच्ची शराब में यूरिया मिलाकर बनाते है इससे शराब की तीव्रता बढ़ जाता है और शराब की बिक्री ज्यादा होती है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 76/2023 धारा धारा 60 आबकारी अधि0 व धारा 272 भादवी पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता-

संजय पासवान पुत्र स्व0 त्रिभुवन पासवान ग्राम -मठिया बुजुर्ग (जगदीशपुर) थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 76/2023 धारा धारा 60 आबकारी अधि0 व धारा 272 भादवी थाना खोराबार, गोरखपुर

बरामदगी-

20 लीटर अपमिश्रित शराब, 300 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम नौसादर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रामानुज सिंह यादव थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. का0 मनीष राजभर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
3. का0 अरुण कुमार यादव थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
4. का0 कृष्ण कुमार दुबे थाना खोराबार जनपद गोरखपुर